भारत सरकार
GOVT OF INDIA
केंद्रीय जल आयोग
CENTRAL WATER COMMISSION
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
मध्य गंगा मण्डल – 3 आकाशदीप, पन्नालाल पार्क, वाराणसी
MIDDLE GANGA DIVISION - 3 Akashdeep, Pannalal Park Varanasi
☎(0542) 2280339 (0542) 2282303 e-mail : mgd3cwcvaranasi@yahoo.co.in

सत्यमेव जयते

जल क्रांति अभियान — जल बचत - जल संचय

पत्रांक :-5/5A/मु०/ मगंमं-3/वारा०/ 2018/1195-98 दिनांक. 19-03-2018

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीचे दिये गए विवरण के अनुसार मध्य गंगा मंड़ल-3 केंद्रीय जल आयोग के अन्तर्गत **Page wise Scanning of Service Books** के कार्य हेतु कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक प्रतिष्ठित फर्में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपनी कोटेशन मुहर बन्द लिफाफे में दिनांक **26.03.2018** को **12.00** बजे तक जमा करा सकती हैं। कोटेशन उसी दिन अपराह्न **12.30** बजे इच्छुक कोटेशनदाताओं या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी।

कार्य की सूची एवं विशिष्टियाँ (Specifications) :

संलग्न विवरण के अनुसार

नियम एवं शर्ते :-

1. उपरोक्त कार्य हेतु पृष्ठों की संख्या लगभग 12800 है जो वास्तविक तौर पर घट बढ सकती है ।
2. उपरोक्त कार्य कार्यालय में ही संम्पन्न करना होगा जिसके लिए कम्प्यूटर, स्कैनर इत्यादि फर्म द्वारा स्वयं लाना होगा ।
3. कोटेशन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में फर्म के लेटर पैड पर हीं होनी चाहिए ।
4. दरों को शब्दों एवं संख्या दोनों में लिखा होना चाहिए ।
5. दर के साथ कर तथा अन्य प्रभार आदि यदि कोई हो तो इसका विवरण अलग से दिया जाना चाहिए ।
6. सभी कटिंग्स एवं ओवर राइटिंग प्रतिष्ठान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए।
7. कोटेशन में दर्शायी गयी दरें **90** दिन तक लागू होगी इस मुद्दे पर किसी कोटेशनदाता की चुप्पी उसकी इस शर्त से सहमति मानी जायेगी ।
8. सभी कार्य विशिष्टियों के अनुसार कार्य आदेश जारी होने के **15** दिनों के अन्दर पूरा करना अनिवार्य होगा।
9. कार्य पूरा होने पर इस कार्यालय में पूर्व प्राप्ति बिल (प्री-रिसिप्टेड बिल) तीन प्रतियों में भेजना होगा। बिल में धनराशि अंको तथा शब्दों दोनों में लिखा होना चाहिए। तत्पश्चात भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, वाराणसी के रेखांकित चेक/डीडी द्वारा किया जायेगा ।
10. शर्तो के साथ भेजे गये कोटेशन स्वीकार नहीं किये जायेगें ।
11. कार्य आदेश की मात्रा घटाने या बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
12. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी कोटेशनों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं सम्पूर्ण कोटेशन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध मे उनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
13. फर्में पंजीकृत एवं GST युक्त होनीं चाहिए।
14. भुगतान वास्तविक पेजेज के अनुसार किया जाएगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

19/3/18
(आर०के०गौतम)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमंडल, केंद्रीय जल आयोग, वाराणसी ।
2. लेखानुभाग, मध्य गंगा मण्डल -3, केंद्रीय जल आयोग, वाराणसी।
3. केंद्रीय जल आयोग वेब पोर्टल www.cwc.nic.in
4. CPPP पोर्टल www.eprocure.gov.in/ सूचना पट्ट, मध्य गंगा मण्डल-3, केंद्रीय जल आयोग, वाराणसी।

Schedule

NAME OF WORK: Page wise scanning of Service Books under MGD-3, CWC, Varanasi

Sl No .	Details of work	Unit	Rate/Page(In Rs.)		Taxes If Any	Total Amount (For One Page)
			In Figure	In Word		
1	Page wise Scanning of Service Books .	Per Page				

Date

Name & Signature of the Authorized Signatory